क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.aov.in / www.esic.in

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : **29-04-2025**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के **क्षेत्रीय निदेशक , सीए. निरंजन कुमार** द्वारा सादे समारोह में **मेसर्स अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्रा. लि. के** अंतर्गत पंजीकृत बीमित व्यक्ति श्री दिलवर कुमार जो **बेगूसराय में सहायक प्रबंधक** के पद पर कार्यरत थे, उनकी आश्रिता पत्नी- मुन्नी कुमारी, पुत्री- सुश्री मानवी कुमारी एवं पुत्र- श्री मानकर कुमार, को आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. श्री दिलवर कुमार की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी । वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थिक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में हुई थी ।

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को ESI ESI Act,1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमित कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक